न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 69/2021 बउनवानी गणपत सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली
पुत्र श्री नवल सिंह राजपूत निवासी मोरन तहसील बौंली

GCMS No-2021/173

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.9.2021	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 2.9.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. सन्2042 में भूदान कब हुआ भूदान का आदेश किसके द्वारा दिया गया, दुर्गा सिंह पुत्र भंवर को दान किसने की, सहमति किसके द्वारा दी गयी बाबत आराजी ख0न0 32/3 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा ख0न0 3212 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ग्राम मोरण तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु जरिये रजिस्टर्ड डाक अवगत कराया कि तहसीलदार बौंली द्वारा उक्त अपील से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः तहसीलदार बौंली से सूचना उपलब्ध करवायी जावे। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2021/343 दिनांक 17.9.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.2020 में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड का बस्ता दिनांक 31.5.2007 को गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान हुई आगजनी मे जलकर नष्ट हो जाने के कारण वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने की स्थिति में तहसीलदार .बौंली द्वारा जरिये पत्रांक 1170 दिनांक 12.1.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.9.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड का बस्ता दिनांक 31.5.2007 को गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान हुई आगजनी मे जलकर नष्ट हो जाने के कारण वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने पर तहसीलदार बौंली के पत्रांक 1170 दिनांक 12.1.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। इस प्रकार तहसीलदार बौंली/मित्रपुरा द्वारा अपीलान्ट को अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिवस के स्थान पर लगभग 120 दिवस के उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया [illegible] लोक सूचना अधिकारी का सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति लापरवाही [illegible] है। अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बौंली एवं मित्रपुरा को [illegible] भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों [illegible] तय समय सीमा [illegible]तारण करवाया जाना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश के साथ अ[illegible] अपीलान्ट का निस्त[illegible]या जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:24 IST
Reason: SelfAttested